ाक
ाम

कार्यवाही

.2-18 पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्षकारान अनुपस्थित आये। न्यायालय समय में आवाज लगवायी गयी फिर भी कोई उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 04-12-14 से ही तलबी में है। वादीगण को 24.10.16 को पुनः तलबाना पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् 26.11.16, 3.1.17, 1.2.17, 22.2.17, 28.3.17 तक अवसर दिये। 13.9.17 को जरिये Reg. AD तलबी हेतु अवसर प्रदान किया गया उसके बाद भी न्यायहित में वादीगण को 27.11.17 तथा 02.1.18 को अवसर प्रदान किये गये। वादीगण को शेष प्रतिवादीगण को समन तलबाना हेतु पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी न तो तलबाना पेश किया गया और न ही इस संबंध में न्यायालय को अवगत कराना उचित समझा गया। इससे जाहिर होता है वादीगण ने तलबाना पेश न कर किरत उपेक्षा न्यायालय का समय जाया किया है। अतः न्यायालय वाद से न्यायालय का समय जाया किया है। अतः न्यायालय वाद को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ दो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)